न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानीसिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 04/2020

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
हड़मानसिंह पुत्र भंवरसिंह के कायम मुकाम—		1. कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह
1. मोहनसिंह उर्फ मूलसिंह पुत्र हड़मानसिंह		2. संतोषसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. श्रवणसिंह पुत्र हड़मानसिंह		3. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र हड़मानसिंह		4. भोजसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह जातियान — पुरोहित निवासीगण — भावी तहसील — बिलाड़ा
4. श्रीमती गोमती कंवर पत्नी हड़मानसिंह जातियान — पुरोहित निवासीगण— भावी तहसील — बिलाड़ा जिला — जोधपुर		5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
		6. श्यामसिंह पुत्र भोपालसिंह
		7. शारदा पुत्री भोपालसिंह
		8. प्रेमकंवर पुत्री भोपालसिंह
		9. कमला पुत्री भोपालसिंह जातियान पुरोहित निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

वादीगण की ओर से—श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 से 9 की ओर से —श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या—3, 4 स्वयं उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या—5 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः—08.10.2021**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे॰बी॰) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम भावी (एस॰बी॰) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 1373 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 26 बीघा 6 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

आयी हुयी है। तथा इसी प्रकार भावी (एस॰बी॰) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1370 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1372 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 3462 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 3463 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3464 रकबा 17 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा स्थित हैं। ग्राम भावी (जे॰बी॰) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 488, 489 में सह खातेदार राणसिंह व भोपालसिंह ने अपना हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा दस्तावेज दिनांक 09.04.1985 के माफिक अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा भंवरसिंह व भोजसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया था, तब से इस भूमि पर भंवरसिंह व उनका सह खातेदार भोजराजसिंह काबिज है। भंवरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्रगण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 काबिज है। जिन्होनें उक्त भूमि का मौके पर आपसी रजामंदी से बंटवाड़ा कर लिया तदनुसार खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्वर्गीय भंवरसिंह के पुत्रगण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या–4 भोजराजसिंह के कब्जे व बंट की है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा तथा शेष वादग्रस्त भूमि ग्राम भावी (एस॰बी॰) स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361, 1367, 1373 की कुल 26 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम भावी (एस॰बी॰) स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 की कुल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा तथा शेष वादग्रस्त भूमि ग्राम मालकोसनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 99 व 100 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या–5 की जरिये पंजीबद्ध बैचान दिनांक 09.04.1985 के खरीदसुदा व कब्जाशुदा सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें राजस्व अधिकारीयों की त्रुटीवश उक्त भूमि वर्तमान में महज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम ही दर्ज है, जबकि प्रतिवादी संख्या–5 भी इस भूमि का सह खातेदार है एवं इस सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–[illegible] है तथा अन्य वादग्रस्त भूमि ग्राम मालकोसनी स्थित खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि है, जिसमें वादी का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है, हिस्सा माफिक वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर सह खातेदार काबिज रहकर लगान की अदायगी करते आये है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी (जे०बी०) की सरहद म भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में से वादी को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या–4 को भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा तथा ग्राम भावी (एस०बी०) की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1361, 1367, 1373 की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को तथा ग्राम भावी (एस०बी०) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 की भूमि मे ंवादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–5 को 1/4 हिस्सा तथा ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा की भूमि में वादी को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 3/4 हिस्से का बंटवाड़ा किया जावें। उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2017 को वादीगण का दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया, इस निर्णय दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1,2 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील को पेश किया जो राजस्व अपील संख्या–56/2018 दिनांक 11.11.2019 को स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय दिनांक 28.06.2017 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई करने के लिए इस न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दिया गया। मूल दावे को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पक्षकारान को सूचित किया गया।

उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद मे वादी हड़मानसिंह के देहान्त हो जाने के कारण उसके वारिशानों की तरफ से एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद बोराणा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी मय वकालतनामा को पेश किया गया। प्रार्थीगण–श्यामसिंह पुत्र भोपालसिंह, शारदा, प्रेमकंवर, कमला पुत्रीयां भोपालसिंह जातियान पुरोहित निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का पेश किया, जो दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किय गय। वादी अधिवक्ता ने संशोधित वाद शीर्षक को पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को नोट प्रेस किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

मौजूदा वाद म वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 9 की ओर से उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में राजीनामा को प्रस्तुत किया गया, जो राजीनामा इस आधार का पेश किया गया कि **ग्राम भावी (एस॰बी॰) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा**, खसरा नम्बर 1370 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1372 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1361 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 1373 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा– 06 कुल रकबा 51 बीघा 1 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 का है।उपरोक्त संयुक्त खातेदार ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1370 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1372 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1361 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 1373 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा– 06 कुल रकबा 51 बीघा 1 बिस्वा का बंटवाडा कर अलग अलग हिस्से मे रखना तय किया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर **1358** रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा में से 6 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–3 ओमसिंह के बंट में तथा खसरा नम्बर **1358/1** रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा में से 6 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–2 संतोष सिंह के बंट में रखी गयी है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर **1361** रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा में से 8 बीघा प्रतिवादी संख्या –3 ओमसिंह के बंट में तथा खसरा नम्बर **1361/1** रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा में से 7 बीघा 1 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–1 कल्याणसिंह के बंट में रखी गयी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर **1372** रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर **1373** रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि वादी संख्या–1 मोहनसिंह उर्फ मूलसिंह, वादी संख्या–4 श्रीमती गोमती कंवर के संयुक्त बंट में रखी गयी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर **1370** रकबा 9 बीघा 3 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या–1 कल्याणसिंह के बंट में रखी गयी है।इसी प्रकार खसरा नम्बर **1367** रकबा 9 बीघा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या–2 संतोष सिंह के बंट में रखी गयी है। राजीनामा के साथ नजरी नक्शा के अनुसार उपरोक्त बंट व हिस्से की भूमि को पक्षकारान के बीच रखी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। **गाम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 प्रतिवादी संख्या–4 भोजसिंह का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–6 से 9 का तथा 1/4 हिस्सा पुनाराम पुत्र खंगारराम विश्नोई का है। उपरोक्त संयुक्त खातेदार वादी संख्या–1 मोहनसिंह की अपने भाई व माता के 1/4 हिस्से में 1/4 वां हिस्सा यानि 1/16 वां हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रखना तय किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–4 भोजसिंह की 1/4 हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रखना तय किया है। इस प्रकार उक्त खातेदारी भूमि **खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में 3/4 हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 का तथा 1/4 हिस्सा पूनाराम पुत्र खंगारराम विश्नोई** का संयुक्त खातेदारी का है। राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार उपरोक्त बंट व हिस्से की भूमि को पक्षकारान के बीच रखी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। **ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा** आयी हुयी है। जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण का 1/6 हिस्सा तथा 1/6 प्रतिवादी संख्या–6 से 9 का तथा 2/3 हिस्सा पुनाराम पुत्र खंगारराम विश्नोई का है। उपरोक्त संयुक्त खातेदार वादी संख्या–1 मोहनसिंह की अपने भाई व माता के 1/6 हिस्से में 1/4 वां हिस्सा यानि 1/24 वां हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रखना तय किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–6 से 9 की 1/6 हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रखना तय किया है। इस प्रकार उक्त खातेदारी भूमि **खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में 1/6 वां हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 का तथा 2/3 वां हिस्सा पूनाराम पुत्र खंगारराम विश्नोई** का संयुक्त खातेदारी का है। राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसारा उपरोक्त बंट व हिस्से की भूमि को पक्षकारान के बीच रखी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। **ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा** आयी हुयी है। जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजशुदा है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा को पक्षकारों के बीच निम्न अनुसार बंट की रखी गयी है, जो निम्न अनुसार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested.

अ. वादी संख्या–1 मोहनसिंह पुत्र हड़मानसिंह के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर 98/9 रकबा 1 बीघा

खसरा नम्बर 98/14 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा

कुल खसरा – 2 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा

ब. वादी संख्या–2 श्रवणसिंह पुत्र हड़मानसिंह के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर 98/13 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा

स. वादी संख्या–3 अर्जुनसिंह पुत्र हड़मानसिंह के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर – 98/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/4 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/8 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा

कुल खसरा – 4 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा

द. वादी संख्या – 4 श्रीमती गोमती कंवर पत्नी हड़मानसिंह के बंट की भूमि

खसरा नम्बर 98/5 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा

य. प्रतिवादी संख्या–1 कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर – 98 रकबा 3 बीघा

खसरा नम्बर – 98/02 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/11 रकबा 1 बीघा

कुल खसरा – 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा

र. प्रतिवादी संख्या–2 संतोष सिंह पुत्र भंवरसिंह के बंट की भूमिः–

खसरा नम्बर – 98/10 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/12 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा

खसरा नम्बर – 98/15 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा

कुल खसरा – 3 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा

ल. वादी संख्या 1 से 4 प्रतिवादी संख्या– 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि रखी गयी हैः–

खसरा नम्बर 98/6 रकबा 1 बीघा

व. वादी संख्या–1 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या–1, 2 के संयुक्त खोदारी की शामलाती भूमि रास्ता हेतु रखी गयी हैः–

खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गै.मु.रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः राजीनामें के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार उपरोक्त बंट व हिस्से की भूमि को पक्षकारान के बीच रखी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1, 2 को कोई आपति नहीं है।

इसी प्रकार **ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 5 बीघा**, खसरा नम्बर **100** रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा आयी हुयी है, जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजशुदा है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 5 बीघा को पक्षकारों के बीच निम्न अनुसार बंट की रखी गयी है, जो निम्न अनुसार हैः–

1. **प्रतिवादी संख्या–1 कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह के बंट की भूमिः–**

खसरा नम्बर – 99 रकबा 4 बीघा

2. **वादी संख्या 1 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि रखी गयीः–**

खसरा नम्बर 99/1 रकबा 1 बीघा

3. **प्रतिवादी संख्या– 2 संतोषसिंह पुत्र भंवरसिंह के बंट की भूमि :–**

खसरा नम्बर 100 रकबा 3 बीघा

4. **वादी संख्या– 1 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि रखी गयी :–**

खसरा नम्बर 100/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा

अतः राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार उपरोक्त बंट व हिस्से की भूमि को पक्षकारों के बीच रखी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1, 2 को कोई आपति नहीं है। अन्त में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामें के पद सख्ंया 1 से 4 में पक्षकारों के बीच रखी गयी भूमि के बंट के अनुसार की घोषित की जाकर जरिंये राजीनामा डिक्री फरमाया जावें। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 , 6 से 9 द्वारा राजीनामा को पेश करने के कारण राजीनामा को पढ़कर सुनाया गया एवं सुझाया गया, जिसे पक्षकारों ने राजीनामा को सही होना स्वीकार किया गया जिस पर राजीनामा को तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने के कारण तनकियात की आवश्यकता नहीं रही है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी वादीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा में लिखे तथ्यों अनुसार व नक्शा में दर्शायी गयी भूमि अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार करने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि राजीनामा के अनुसार पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे यह विदित होता है कि वादीगण ने बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पे"ा किया है, जिसमें ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 488 के सहखातेदार पुनाराम पुत्र खंगारराम वि"नोई को पक्षकार नही बनाया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद 53, 188 आर.टी. एक्ट का पे"ा किया है, जिसके अनुसार पक्षकारों की भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर उसने हिस्से अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है लेकिन वादीगण ने राजीनामा अनुसार भूमि की खातेदारी घोषित करना चाहते है लेकिन वादीगण ने घोषणा खातेदारी का वाद पे"ा नही किया है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एवं सयुक्त खातेदार को पक्षकार नही बनाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पक्षकारों के अभाव में तथा धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत वाद में याचना किये बिना घोषित किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित एवं विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फै"ाल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
हड़मानसिंह पुत्र भंवरसिंह के कायम मुकाम–		1. कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह
1. मोहनसिंह उर्फ मूलसिंह पुत्र हड़मानसिंह		2. संतोषसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. श्रवणसिंह पुत्र हड़मानसिह		3. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र हड़मानसिंह		4. भोजसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह जातियान – पुरोहित निवासीगण – भावी तहसील – बिलाड़ा
4. श्रीमती गोमती कंवर पत्नी हड़मानसिंह जातियान – पुरोहित निवासीगण– भावी तहसील – बिलाड़ा जिला – जोधपुर		5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
		6. श्यामसिंह पुत्र भोपालसिंह
		7. शारदा पुत्री भोपालसिंह
		8. प्रेमकंवर पुत्री भोपालसिंह
		9. कमला पुत्री भोपालसिंह जातियान पुरोहित निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 04/2020

निर्णय दिनांक :– 08.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2, 6 से 9 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3, 4 स्वयं उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 05 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पक्षकारों के अभाव में तथा धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत वाद में याचना किये बिना घोषित किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित एवं विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			[illegible]मि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			[illegible] हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुत[illegible]		
			द[illegible] तलबाना		
मीजान			मी[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।